बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 17– BPMU (सो0का0)– 18/2015 (खण्ड–1) 2086

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अखिलेश कुमार झा, बि0प्र0से0 (सेवा निवृत),
पिता– स्व0 रमेश दत्त झा,
रोड नं0–1, विश्वनाथ नगर,
दीपशिखा सिनेमा हॉल के पास,
बेगूसराय– 851101
मोबाईल नं0– 9431259184
e-mail : mail2akjha38@gmail.com

पटना, दिनांक :–23-07-2021

विषय :– बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सोसायटी कार्यालय के लिए एल0आई0एस0 सलाहकार के पद पर संविदा आधारित नियोजन पत्र।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP/DILRMP के अंतर्गत निबंधित सोसायटी के रूप में गठित बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट सोसायटी कार्यालय के लिए एल0आई0एस0 सलाहकार के पद पर संविदा आधारित अस्थायी नियोजन के लिए प्रकाशित विज्ञापन (02/2020–21) एवं आपके आवेदन के आलोक में चयन समिति द्वारा आपको चयनित किया गया है।

2. यह नियोजन पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर की जा रही हैं। इस नियोजन पत्र के आलोक में आपको भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के साथ एकरारनामा करना होगा।

3. एकरारनामा की तिथि से आप एल0आई0एस0 सलाहकार के पद पर अस्थायी रूप से नियोजित माने जाएंगे। आपकी सेवा अवधि, दायित्व एवं अन्य सेवा शर्त्तो का विस्तार से उल्लेख एकरारनामा में किया जाएगा।

4. एल0आई0एस0 सलाहकार को सरकार द्वारा निश्चित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

5. आवेदक के लिए एकरारनामा की शर्त्तो का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आपकी सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर किसी भी समय नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आपका नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

6. इस नियोजन पत्र के आलोक में आपको कर्तव्य पर दिनांक 26.07.2021 के पूर्वाह्न तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में योगदान समर्पित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर योगदान समर्पित नही करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आप कार्य करने के लिए इच्छुक नही हैं और वैसी परिस्थिति में आपका नियोजन/पात्रता रद्द कर दिया जायेगा।

7. यह नियोजन पूर्ण रूप से अस्थायी नियोजन है। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश के आलोक में बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा यदि उक्त सोसायटी को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है, तो विभागीय स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की अवधि तक आपकी सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 23/7/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–BPMU (सो0का0)– 18 / 2015 (खण्ड–1) 2086 **पटना, दिनांक** : 23-07-2021

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–BPMU (सो0का0)– 18 / 2015 (खण्ड–1) 2086 **पटना, दिनांक** : 23-07-2021

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–BPMU (सो0का0)– 18 / 2015 (खण्ड–1) 2086 **पटना, दिनांक** : 23-07-2021

प्रतिलिपि :– आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को निदेशालय के बेवसाईट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।

निदेशक, 23/7/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Satish-2021\Samarajya Jee\Advertiement\Appintment Letter-1.doc